

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ ज्येष्ठ 15, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

फा. सं. पी-15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप विनियम को, अधिनियम की उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप विनियमों को उस तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा जिस तारीख को उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध थीं जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित थी;

आक्षेपों और सुझावों को, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और **औ**षधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 के पते पर भेजा जा सकता है;

आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप विनियम की बाबत प्राप्त किए जाएंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

2497 GI/2015 (1)

- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के "धातु संदूषक" से संबंधित विनियम 2.1 में, उप विनियम 2.1.1 के खंड 2 की सारणी में,-
- (1) सीसा से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

खाद्य पदार्थ	भारानुसार प्रति मिलिग्राम भाग
(2)	(3)
"वर्गीकृत उपोष्णीय फल, खाद्य छिलका	0.1
पत्तेदार सब्जियां (जिसमें ब्रेसिका पत्तेदार सब्जियां भी हैं परंतु पालक सम्मिलित नहीं है	0.3
शिम्बी सब्जियां	0.2
दलहन	0.2
मूल और कंद सब्जियां	0.1
डिब्बाबंद पानफल	1
डिब्बाबंद अंगूरफल	1
डिब्बाबंद मंदरिन संतरा	1
डिब्बाबंद आम	1
डिब्बाबंद अनन्नास	1
डिब्बाबंद रसभरी	1
डिब्बाबंद स्ट्राबेरी	1
डिब्बाबंद उष्ण कटिबंधी फल	1
मुरब्बा (परिरक्षित फल) और जेली	1
आम चटनी	1
जैतून पट्टी	1
डिब्बाबंद शतवारी	1
डिब्बाबंद गाजर	1
डिब्बाबंद हरी बीन्स और डिब्बाबंद विवर्ण बीन्स	1

डिब्बाबंद हरी मटर	1
डिब्बाबंद सूखी प्रसंस्कृत मटर	1
डिब्बाबंद मशरूम	1
डिब्बाबंद पालिमटो	1
डिब्बाबंद भुट्टा	1
डिब्बाबंद टमाटर	1
ककड़ी का अचार (ककड़ी अचार)	1
गाड़ा टमाटर जूस	1.5
सुअर, उसका खाद्य बचा हुआ हिस्सा	0.5
कुक्कुट मांस खाद्य उसका बचा हुआ हिस्सा	0.5
खाने योग्य चर्बी और तेल, (वह खाद्य योग्य चर्बी और तेल जो वैयक्तिक मानकों में सम्मिलित नहीं है)	0.1
मछली	0.3
बनावटी मक्करवन	0.1
समुद्री	0.1
नामित पशु चर्बी (सुअर की चर्बी, गला हुआ सुअर का गोश्त, प्रीमियम जूस और खाने योग्य चर्बी)	0.1
जैतुन तेल, रिफाइंड	0.1
जैतुन तेल विशुद्ध	0.1
जैतुन, अवशिष्ट तेल जैतुन पाम तेल	0.1
कुक्कुट चर्बी	0.1
वनस्पति तेल, अशोधित (आरसिस, बाबुश, नारियल, कपास, बीज, मकई, सेफ्लावर बीज, तिल का बीज,, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज का तेल, और पामोलिन स्टेरिन और सुपरलिन तथा अन्य तेल जिसमें कोका मक्खन नहीं है)	0.1
वनस्पति तेल, खाद्य (आरसिस, बाबुश, नारियल, कपास बीज, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम,, रेपीले फूल के बीज, तिल का बीज,, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज का तेल, और पामोलिन स्टेरिन और सुपरलिन तथा अन्य तेल	0.1

जिसमें कोका मक्खन नहीं है)	
दूध (पूर्णत: या भागत: निर्जलित दूधों पर साद्रता गुणक लागू होगा।)	0.02

(2) संखिया से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)
"खाद्य चर्बी और तेल (खाद्य चर्बी और तेल जो विशिष्ट मानकों में सम्मिलित नहीं है)	0.1
बनावटी मक्करवन	0.1
समुद्री	0.1
नामित पशु चर्बी (सुअर की चर्बी, गला हुआ सुअर का गोश्त, प्रीमियम जूस और खाने योग्य चर्बी)	0.1
जैतुल तेल, रिफाइंड	0.1
जैतुनतेल विशुद्ध	0.1
जैतुन, अवशिष्ट तेल जैतुन पाम तेल	0.1
वनस्पति तेल, अशोधित (आरसिस, बाबुश, नारियल, कपास, बीज, मकई, सेफ्लावर बीज, तिल का बीज, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज का तेल, और पामोलिन स्टेरिन और सुपरलिन तथा अन्य तेल जिसमें कोका मक्खन नहीं है)	0.1
वनस्पति तेल, खाद्य (आरसिस, बाबुश, नारियल, कपास बीज, अंगूर बीज, मकई, सरसों बीज, पामगिरी, पाम, रेपीले फूल के बीज, तिल का बीज,, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज का तेल, और पामोलिन स्टेरिन और सुपरलिन तथा अन्य तेल जिसमें कोका मक्खन नहीं है)	0.1
प्राकृतिक जल खनिज प्रति मि.ग्रा./लि. में	0.01
लवण, खाद्य श्रेणी	0.5
मछली और कड़े खोल वाले जलजीव	76
मोलस्का	86";

⁽³⁾ टिन से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)
"पेय से भिन्न डिब्बा बंद खाद्य	250
डिब्बाबंद पेय जिसके अंतर्गत फल और वनस्पति जूस भी है	150
डिब्बाबंद खटटे फल	250
डिब्बाबंद गुठली फल	250
डिब्बाबंद सब्जियां	250
डिब्बाबंद पंच फल	250
डिब्बाबंद आम	250
डिब्बाबंद अन्नानास	250
डिब्बाबंद रसभरी	250
डिब्बाबंद स्ट्राबरी	250
डिब्बाबंद उष्ण कटिबंधीय फल	250
आम चटनी	250
जैतुल पट्टी	250
डिब्बाबंद मशरुम	250
डिब्बाबंद टमाटर	250
आचार वाली ककड़ी	250
प्रसंस्कृत गाढ़ा टमाटर जूस	250
डिब्बाबंद शाहबतूत (बादाम प्रजाति और शुद्ध शाहबतूत (बादाम प्रजाति)	250
पका हुआ सूखा बारीक टुकड़ों में कटा मांस (टिन प्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	250
पका हुआ सूखा बारीक टुकड़ों में कटा मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
पका हुआ सूखा सुअर का मांस (टिन प्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	250

पका हुआ सूखा सुअर का मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
पका हुआ सूखा सुअर का कंधा (टिन प्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
पका हुआ सूखा सुअर का कंधा (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
नमक लगाकर रखा हुआ बीफ मांस (टिन प्लेट में आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
नमक लगाकर रखा हुआ बीफ मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
मध्यान्ह भोजन मांस (टिन प्लेट आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	50
मध्यान्ह भोजन मांस (अन्य आधानों में रखे उत्पादों के लिए)	200
डिब्बाबंद मछली उत्पाद	200";

(4) कैडिमयम से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)
"ब्रसिका वनस्पतियां (सब्जियां)	0.05
कंद सब्जियां	0.05
फल देने वाली सब्जियां, कोहडा	0.05
कोहडे से भिन्न फल देने वाली वनस्पति (टमाटर और खाद्य फफूंद को छोड़कर)	0.05
पत्तेदार सब्जियां	0.2
फलीदार सब्जियां	0.1
आलू, छिलकेदार	0.1
दलहन सूखा सोयाबीन को छोड़कर	0.1
जड़ और कंद सब्जियां	0.1
जड़ और कंद सब्जियां आलू और सिलिरिक को छोड़कर	0.1
अन्न कण, शुष्क धान को छोड़कर, किनहुआ और क्यूनिया (गेहूँ और चावल छोड़कर): तथा भूसी और बीज	0.1
चावल, परिष्कृत	0.4
गे हूँ	0.2
प्राकृतिक जल, खनिज जल, प्रति मि.ग्रा./लि. में निचोड़े गए	0.003

लवण, खाद्य श्रेणी	0.5
मछली	0.3
कड़े खोल वाला जीव	0.5
सीफोलापोडा	2.0
सीधी मोलस्का	2.0";

(5) मरकरी से संबंधित क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)
"प्राकृतिक जल, खनिज जल, प्रति मि.ग्रा./लि. में निचोड़े गए	0.001
लवण, खाद्य श्रेणी	0.1
गैर परभक्षी मछली, कड़े खोल वाला जीव, सीफेलोपोडस, मोलस्का.	0.5
परभक्षी मछली (टूना, मार्लिन, सोर्ड मछली, इलास्मोब्रांच)	1.0";

(6) क्रोमियम से संबंधित क्रम संख्यांक 9 के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(2)	(3)
"सभी मत्स्य उत्पाद	12";

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(106)]

टिप्पण – मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012 तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety

and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, duly supported with scientific evidence, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their final notification in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1 relating to "Metal Contaminants", in sub-regulation 2.1.1, in clause 2, in the table,-
 - (1) against serial number 1 relating to Lead, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

Article of Food	Parts per Million by weight
(2)	(3)
"Assorted subtropical fruits, edible peel	0.1
Assorted subtropical fruits, inedible peel	0.1
Berries and other small fruits	0.2
Citrus fruits	0.1
Pome fruits	0.1
Stone fruits	0.1
Brassica vegetables excluding Kale	0.3
Bulb vegetables	0.1
Fruits and vegetables, cucurbits	0.1
Fruiting vegetables other than cucurbits (excluding mushrooms)	0.1
Leafy vegetables (including brassica leafy vegetables but excluding spinach)	0.3
Legume vegetables	0.2
Pulses	0.2
Root and tuber vegetables	0.1

Canned fruit cocktail	1
Canned grapefruit	1
Canned mandarin oranges	1
Canned mangoes	1
Canned pineapple	1
Canned raspberries	1
Canned strawberries	1
Canned tropical fruit salad	1
Jam (fruit preserves) and jellies	1
Mango chutney	1
Table olives	1
Canned asparagus	1
Canned carrots	1
Canned green beans and Canned wax beans	1
Canned green peas	1
Canned mature processed peas	1
Canned mushrooms	1
Canned palmito	1
Canned sweetcorn	1
Canned tomatoes	1
Pickled cucumbers (Cucumber pickles)	1
Processed tomato concentrates	1.5
(2)	(3)
Fruit Juices (including nectars; ready to drink)	0.05
Cereal grains, except buckwheat, canihua and Quinoa	0.2
Canned chestnuts and canned chestnut purée	1
Meat of cattle, sheep and pig (also applies to fat from meat)	0.1

THE GREETIE OF THEM: EXTRAGRETION	[FART III BEC. 1]
Poultry meat	0.1
Cattle, edible offal of	0.5
Pig, edible offal of	0.5
Poultry, edible offal of	0.5
Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)	0.1
Fish	0.3
Margarine	0.1
Minarine	0.1
Named animal fats (lard, rendered pork fat, premier jus and edible tallow)	0.1
Olive Oil, refined	0.1
Olive Oil, virgin	0.1
Olive, residue oil (olive pomace oil)	0.1
Poultry fats	0.1
Vegetable Oils, crude (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)	0.1
Vegetable Oils, edible (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils but excluding cocoa butter)	0.1
Milks (A concentration factor applies to partially or wholly dehydrated milks.)	0.02
(2)	(3)
Secondary milk products (as consumed)	0.02
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.01
Infant formula (ready to use)	0.02
Salt, food grade	2.0
Wine	0.2

Crustaceans	0.5
Cephalopods	1.0
Bivalve Molluscs	1.5";

(2) against serial number 3 relating to Arsenic, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

(2)	(3)
"Edible fats and oils (edible fats and oils not covered by individual standards)	0.1
Margarine	0.1
Minarine	0.1
Named animal fats (lard, rendered pork fat, premier jus and edible tallow)	0.1
Olive Oil, refined	0.1
Olive Oil, virgin	0.1
Olive, residue oil (olive pomace oil)	0.1
Vegetable Oils, crude (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rape seed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils	0.1
Vegetable Oils, edible (oils of arachis, babasu, coconut, cotton seed, grape seed, maize, mustard seed, palm kernel, palm, rapeseed, safflower seed, sesame seed, soya bean, and sunflower seed, and palm olein, stearin and superolein and other oils	0.1
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.01
Salt, food grade	0.5
Fish and Crustaceans	76
Molluscs	86";

⁽³⁾ against serial number 4 relating to Tin, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

12 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINAR	Y [PART III—SEC. 4
(2)	(3)
"Canned foods other than beverages	250
Canned beverages, including fruit juices and vegetable juices	150
Canned citrus fruits	250
Canned stone fruits	250
Canned vegetables	250
Canned fruit cocktail	250
Canned mangoes	250
Canned pineapple	250
Canned raspberries	250
Canned strawberries	250
Canned tropical fruit salad	250
Mango Chutney	250
Table Olives	250
Canned mushrooms	250
Canned tomatoes	250
Pickled cucumber	250
Processed tomato concentrates	250
Canned chestnuts and chestnut purée	250
Cooked cured chopped meat (for products in tinplate containers)	250
Cooked cured chopped meat (for products in other containers)	50
Cooked cured ham (for products in tinplate containers)	50
Cooked cured ham (for products in other containers)	200
Cooked cured pork shoulder (for products in tinplate containers)	50
Cooked cured pork shoulder (for products in other containers)	200
Corned beef (for products in tinplate containers)	50
Corned beef (for products in other containers)	200

(2)	(3)
Luncheon meat (for products in tinplate containers)	50
Luncheon meat (for products in other containers)	200
Canned fish products	200";

(4) against serial number 6 relating to Cadmium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

(2)	(3)
"Brassica vegetables	0.05
Bulb vegetables	0.05
Fruiting vegetables, cucurbits	0.05
Fruiting vegetables other than cucurbits (excluding tomatoes and edible fungi)	0.05
Leafy vegetables	0.2
Legume vegetables	0.1
Potato, peeled	0.1
Pulses, excluding soybean dry	0.1
Root and tuber vegetables, excluding potato and celeriac	0.1
Stalk and stem vegetables	0.1
Cereal grains, except buckwheat, canihua and Quinoa (excluding wheat and rice; and bran and germ	0.1
Rice, polished	0.4
Wheat	0.2
Natural mineral water, expressed in mg/L	0.003
Salt, food grade	0.5
Fish	0.3
Crustaceans	0.5
Cephalopods	2.0
Bivalve Molluscs	2.0";

⁽⁵⁾ against serial number 7 relating to Mercury, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

(2)	(3)
"Natural mineral water, expressed in mg/L	0.001
(2)	(3)
Salt, food grade	0.1
Non-predatory fish, crustaceans, cephalopods, molluscs	0.5
Predatory Fish (Tuna, Marlin, Sword Fish, Elasmobranch)	1.0";

6) against serial number 9 relating to Chromium, in columns (2) and (3), after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely,-

(2)	(3)
"All fishery products	12";

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15(106)]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012 dated the 3rd December, 2014.